राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में सत्र 2019–20 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों/अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/दिशा–निर्देश

सभी अभ्यर्थियों/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के अध्यधीन पैरामेडिकल संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग का ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें–

1. यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता, अर्थात् 12वीं कक्षा जीवविज्ञान/गणित, रसायन शास्त्र व भौतिकी विषयों (Physics, Chemistry, Biology/Maths) के साथ उत्तीर्ण हो। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक 45 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को संस्थान/कॉलेज आवंटन में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
2. यदि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से यह न्यूनतम अर्हता, 12वीं कक्षा जीवविज्ञान/गणित, रसायन शास्त्र व भौतिकी विषयों (Physics, Chemistry, Biology/Maths) के साथ उत्तीर्ण है, तो वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अर्जित यह अर्हता (12वीं परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं परीक्षा के समकक्ष है। विभिन्न बोर्ड की समकक्षता की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें– समकक्षता सूची।
3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा 12वीं परीक्षा का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक/हायर सैकण्डरी परीक्षा की समकक्षता सूची में अकित नाम से अक्षरशः मिलान करता हो। परीक्षा के नाम में कोई भी अन्तर होने पर समकक्षता स्थापित नहीं होने के कारण आप आवेदन हेतु अपात्र होंगे।
4. अभ्यर्थी/अभिभावकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे काउन्सिलिंग के लिए संस्थान/कॉलेज का विकल्प भरने से पूर्व संस्थान/कॉलेज की वैबसाइट से संस्थान/कॉलेज के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त कर लेवें अथवा संस्थान/कॉलेज में जाकर पूर्ण सूचना प्राप्त कर लेवें। काउन्सिलिंग में संस्थान/कॉलेज आवंटन किये जाने के उपरान्त इस संबंध में कोई भी विवाद होने पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी/अभिभावकों को यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी को संस्थान/कॉलेज में सीट आवंटन किये जाने व फीस जमा कराये जाने के उपरान्त काउन्सिलिंग वैबसाइट पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग/जॉइनिंग की स्थिति की जाँच कर लेवें। जॉइनिंग दिये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी के पोर्टल पर संस्थान/कॉलेज द्वारा जॉइनिंग नहीं दर्शाने की स्थिति में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को तुरन्त सूचित करें।
6. अभ्यर्थी/अभिभावकों को यह भी सूचित किया जाता है कि संस्थान/कॉलेज में सीट आवंटन किये जाने के उपरान्त संस्थान/कॉलेज में फीस जमा कराये जाने के उपरान्त अध्ययन के दौरान भी किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी 12वीं जीवविज्ञान/गणित विषय में न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है अथवा उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च

माध्यमिक/हायर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष नहीं है, तो उसकी अभ्यर्थिता उसी समय रद्द कर दी जावेगी तथा इसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक/मानसिक/समय की क्षति के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमें राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबध में अभ्यर्थी/अभिभावक किसी भी न्यायालय में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के विरूद्ध किसी भी अनुतोष के पात्र नहीं होंगे।

7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सत्र के मध्य में पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया जाता है, तो उनके द्वारा संबंधित संस्थान/कॉलेज में जमा करवाये गये किसी भी प्रकार के शुल्क का प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान देवें कि किसी भी संस्थान/महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई Management Quota नहीं है। अतः किसी भी संस्थान/कॉलेज के द्वारा Management Quota के अधीन प्रवेश दिये जाने के प्रलोभन से बचाव रखें व इस कारण से किसी भी संस्थान/कॉलेज को अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं करें।
9. अभ्यर्थी द्वारा उन्हें आवंटित संस्थान/कॉलेज में निम्नांकित मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु जमा करवाये जायेंगे –
   A. 10वीं अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
   B. 12वीं (Physics, Chemsitry, Biology/Maths) अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र
   C. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का समकक्षता प्रमाण पत्र (यदि यह अनुसूची में अंकित नहीं है)
   D. आव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)
   E. मूल निवास प्रमाण पत्र
   F. जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना स्वीकार्य नही है)
   G. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र
10. अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थान/कॉलेज को निम्न शुल्क का भुगतान करना होगा–
    A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year
    B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
    C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)
11. संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर संस्थान/कॉलेज को तत्समय ही इसकी रसीद जारी करना होगी।
12. प्रशिक्षणार्थियों हेतु ड्रेस कोड– पुरुष– सफेद पैण्ट शर्ट व एप्रन (एप्रन की पॉकेट पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का लोगो होगा), महिला– सफेद सलवार सूट व एप्रन (एप्रन की पॉकेट पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का लोगो होगा)
13. सत्र 2019–20 का नियमित प्रशिक्षण प्रथम काउन्सिलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग दिनांक के 15 दिवस बाद की दिनांक को प्रारम्भ होगा। प्रशिक्षण समय ग्रीष्मकाल में प्रातः 8.00 बजे से तथा शीतकाल में प्रातः 9.00 बजे से रहेगा। सभी संस्थान/कॉलेज एकेडमिक कलेण्डर की पालना सुनिश्चित करेंगे। एकेडमिक कलेण्डर की प्रति के लिए यहाँ क्लिक करें– एकेडमिक कलेण्डर।
14. समस्त अभ्यर्थियों/अभिभावकों को यह सूचित किया जाता है कि वे इन निर्देशों की अक्षरशः पालना करें। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द होने पर अभ्यर्थी/अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की कोई जिम्मेदारी नही होगी।